## WESTERN RAILWAY

P.S.NO.76/2014

Headquarter Office, Churchgate, Mumbai.

No.E(P&A)773/0 Vol.VIII

Dt.24.07.2014.

All DRMs/CWMs and Unit Incharge, C/Genl.Secy.-WREU-GTR/WRMS-BCT. C/-ZS.-All Indian SC/ST Rly.Emp.Asson.'W' Zone, Mumbai. C/-ZS- All India OBC Rly.Empl.Assn. Mumbai.

Sub: Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 – Clarification regarding fixation of pay under rule 13 in case of Running staff.

A copy of Railway Board's letter No.PC-VI/2011/IC/1 (S.No.PC-VI/340) dt.22.05.2014 (RBE No.54/2014) is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Railway Board's letter referred therein have already been circulated under this office letter quoted below:-

Sr.No.	Railway Board's letter No. & Date	This office letter No. & Date and P.S.No	
1.	No.PC-VI/2011/IC/1 (S.No.PC- VI/317) (RBE No.95/2013) dated 12.09.2013.	No.E(P&A) 773/0 Vol.VII dated 17.10.2013 (P.S.No.85/2013)	

Encl: As above.

( Babu Augustine ) APO(B&A)

For General Manager (E).

## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS (Railway Board)

RBE No.54/2014

S.No. PC-VV340 No. PC-VI/2011/IC/1

New Delhi, dated 22/05/2014

The GMs/CAOs(R), All Indian Railways & Production Units (As per mailing list)

Subject: Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008- Clarification regarding fixation of pay under rule 13 in case of Running staff

Please refer to para 3 of Board's letter No. PC-III/2003/CRC/6 dated 09.10.2003 (RBE No.177/2003) and PC-III/2004/CRC/7 dated 06.04.2004 (RBE No.78/ 2004) advising that the benefit of fixation of pay under Rule 1313 (FR22) (I) (a) (1) R-II would be no longer available in the case of movement from lower grade to higher grade in the non-functional situations where there is no change in duties as in the case of movement from Goods Guards to Sr. Goods Guards and Goods Drivers to Sr. Goods Driver etc. However, the benefit of fixation under above rule would be admissible in the cases of functional promotion such as Sr. Goods Guard to Passenger Guards and Sr. Goods Drivers to Passenger Drivers etc. though in identical scale of pay. The above methodology was in supersession of that advised vide Board's letter No. PCIII/93/CRC/I dated 14.07.1993 (RBE No.106/93). PEC 10.2113

Consequent upon recommendations of 6th CPC as accepted by government, a new pay structure comprising running pay bands and Grade Pay has come into force w.e.f. 1,1,2006 and methodology of pay fixation in the revised pay structure is stipulated in Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 read with schedules circulated vide Board's letter No.PC VI/2008/I/RSRP/1 dated 11.09.2008 and various clarifications issued on subsequent dates. Further various Grades in the categories of Running staff ( in prerevised scales Rs.5000-8000, 5500-9000 and 6000-9800) have been merged and provisional revised designations of merged grades have been issued vide Board's letter No. PC-VI/2008/I/1/1 dated 14.09.2010 (PC-VI No. 226; RBE No. 134/2010). Further a new component of 'Additional Allowance' has been introduced. Fixation of pay on promotion from one grade pay to another in revised pay structure effective from 01.01.2006 is governed by Rule 13 of RS (RP) Rules, 2008, which provides for benefit of one notional increment at the time of such fixation. Further, benefit of pay fixation as above has been permitted in certain specified situation of pay fixation from one category of running staff to another in same Pay Band and Grade Pay vide Board's letter No. PC VI/2011/IC/1 dated 12/09/2013 (PC-VI-No. 317; RBE No.95/2013).

3. However, clarifications are being sought from various Railways regarding methodology of pay fixation to be followed in various functional and non-functional situations concerning running staff in revised pay structure effective from 1.1.2006. The issue has been under examination in consultation with Ministry of Finance/DOP&T and it is clarified that in various situations of fitment / promotion of Running staff in Revised pay structure, fixation of pay would be as follows:

S.No		Position in 6th CPC pay structure		
	Feeder category*	Fed/Promotional category*	Remarks	
LOC	OPILOTS	1	J	
ı	Assit.Loco Pilot PB1 GP Rs.1900	Sr. Asstt. Loco Pilot(Non functional) PB1 GP Rs. 2400	Promotional increment under Rule 13 of RS(RP) Rules, 2008 would be admissible	
2	Sr.Asstt.Loco Pilot (Non-functional) PBI GP Rs.2400	Loco Pilot (Shunting) Grade 11 PB1 GP Rs.2400	Functional promotion in same Pay Band Grade Pay following non functional placement. Promotional increment under Rule 13 of RS(RP) Rules, 2008 would and be admissible	
3	Loco Pilot (Shunting) Grade II PB1 GP Rs.2400	Loco Pilot (Shunting) Grade I (Non Functional) PB2 GP Rs.4200	Promotional increment under Rule 13 of RS(RP) Rules, 2008 would be admissible	
1	Loco Pilot (Shunting) Grade I (Non Functional) PB2 GP Rs.4200	Loco Pilot ( Goods)  PB2 GP Rs.4200	Functional promotion in same Pay Band / Grade Pay following non-functional placement. Promotional increment under Rule 13 of RS(RP) Rules,2008 would not be admissible	
. 2.	Loco Pilot ( Goods) PB2 GP Rs.4200	Loco Pilot (Pass.)  PB2 GP Rs.4200+ Rs.500 (AddLAllowance)	Benefit of promotional increment under Rule 13 of Revised Pay Rules, 2098 Rules permitted vide Board's letter No. PC VI/2011/IC/1 dated 12/09/2013.	
	Loco Pilot (Pass.) PB2 GP Rs.4200+ Rs.500 (Addl.Allowance)	D. 1000	Benefit of promotional increment under Rule 13 of Revised Pay Rules, 2008 Rules permitted vide Board's letter No. PC VI/2011/IC/I dated 12/09/2013.	

GUA	RDS		
7	Asstt.Guard / Brakesman  PB1 GP Rs.1900	Sr.Asstt.Guard/ Sr.Brakesman (Non-functional) PB1 GP Rs.2400	Promotional increment under Rule 13 of RS(RP) Rules, 2008 would be admissible
8	Sr.Asstt.Guard/ Sr.Brakesman (Non- functional) PB1 GP Rs.2400	Goods Guard PB1 GP Rs.2800	Promotional increment under Rule 13 of RS(RP) Rules, 2008 would be admissible
9	Goods Guard PB1 GP Rs.2800	Sr. Goods Guard (Non- functional) PB2 GP Rs.4200	Promotional increment under Rule 13 of RS(RP) Rules, 2008 would be admissible
10	(Non-functional) Grade Pay following placement. Promotional in		Functional promotion in same Pay Band / Grade Pay following non-functional placement. Promotional increment under Rule 13 of RS(RP) Rules, 2008 would not be admissible
11	Sr.Passenger Guard PB2 GP Rs.4200	Mail/Express Guard  PB2 GP Rs.4200+ Rs.500 (Addl.Allowance).	Benefit of promotional increment under Rule 13 of Revised Pay Rules, 2008 Rules permitted vide Board's letter No. PC VI/2011/IC/1 dated 12/09/2013.

<sup>(\*</sup> Provisional revised designations as per Board's letter No. PC-VI/2008/I/1/1 dated 14.09.2010 (PC No. 226; RBE 134/2010)

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(Vikram Gulati)

Director, Pay Commission-II Railway Board.

## No. PC-VI/2011/IC/1

New Delhi, dated 22/05/2014

Copy (with 40 spares)) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India(Railway), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.

For Financial Commissioner, Railways.

## भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 54/2014

क्र. सं. पीसी- VI/340

सं. पीसी vi/2011/आईसी/1

नई दिल्ली, दिनांक 22.05.2014

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर), सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां (डाकसूची के अनुसार)

> विषय: रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 - रिनंग कर्मचारियों के मामले में नियम 13 के अंतर्गत वेतन निर्धारण करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

कृपया बोर्ड के दिनांक 09.10.2003 के पत्र सं. पीसी-III/2003/सीआरसी/6 (आरबीई सं. 177/2003) और दिनांक 06.04.2004 के पत्र सं. पीसी-III/2004/सीआरसी/7 (आरबीई सं. 78/2004) के पैरा 3 का अवलोकन करें जिसमें स्चित किया गया है कि गैर-कार्यात्मक पिरिस्थितियों में निम्नतर ग्रेड से उच्चतर ग्रेड में संचलन होने के मामले में, जैसा कि गुड्स गार्ड से सीनियर गुड्स ग्राई आर गुइस ग्राई और गुइस ग्राईवर से सीनियर गुड्स ग्राईवर आदि में संचलन होने के मामले में जहाँ इयूटी में कोई पिरवर्तन नहीं होता है, नियम 1313 (एफआर 22) (I) (ए) (1)आर-II के अंतर्गत वेतन के निर्धारण का लाभ आगे प्राप्त नहीं होगा। बहरहाल सीनियर गुड्स ग्राई से पैसेंजर गार्ड और सीनियर गुड्स ग्राइवर से पैसेंजर ग्राइवर आदि जैसी कार्यात्मक पदोन्नित के मामले में एक समान वेतनमान होने के बावजूद उपर्युक्त नियम के अंतर्गत वेतन के निर्धारण का लाभ स्वीकार्य होगा। उपर्युक्त प्रावधान बोर्ड के दिनांक 14.07.1993 के पत्र सं. पीसीIII/93/सीआरसी/1 (आरबीई सं. 106/93) में उल्लिखित प्रावधान के स्थान पर है।

2. सरकार द्वारा यथा स्वीकृत छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के पिरणामस्वरूप 01.01.2006 से एक नई वेतन संरचना लागू की गई है जिसमें सतत वेतन बैंड और ग्रेड पे है और संशोधित वेतन संरचना में वेतन निर्धारिण करने की कार्यविधि बोर्ड के दिनांक 11.09.2008 के पत्र सं. पीसीण/2008/आई/आरएसआरपी/1 के तहत परिपत्रित अनुसूचियों के साथ पठित रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 और इसके बाद की तारीखों को जारी विभिन्न स्पष्टीकरणों में निर्धारित की गई है। इसके अलावा, रिनंग कर्मचारियों की कोटियों में विभिन्न ग्रेडों (संशोधन पूर्व के ₹ 5000-8000, ₹ 5500-9000 और ₹ 6000-9800 के वेतनमानों में) का विलय कर दिया गया है और विलय किए गए ग्रेडों के प्रोविजनल संशोधित पदनाम, बोर्ड के दिनांक 14.09.2010 के पत्र सं. पीसी-VI/2008/आई/1/1 (पीसी-VI सं. 226; आरबीई सं. 134/2010) के तहत जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, "अतिरिक्त भत्ता" एक नया घटक आरंभ किया गया है। 01.01.2006 से प्रभावी संशोधित वेतन संरचना में एक ग्रेड पे से दूसरे ग्रेड पे में पदोन्नित होने पर वेतन निर्धारण रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 13 के अनुसार किया जाता है जिसमें इस प्रकार के निर्धारण के समय एक नौशनल वेतनवृद्धि का लाभ दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा, बोर्ड के दिनांक 12.09.2013 के पत्र सं. पीसी VI/2011/आईसी/1 (पीसी-VI सं. 317, आरबीई सं. 95/2013) के तहत उपर्युक्त वेतन निर्धारण के लाभ की अनुमति एक ही वेतन बैंड और ग्रेड पे में रिनंग कर्मचारियों की एक कोटि से दूसरी कोटि में वेतन निर्धारण की कितिपय विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में अनुमेय की गई है।

3. बहरहाल, 01.01.2006 से प्रभावी संशोधित वेतन संरचना में रिनंग कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न कार्यात्मक एवं गैर-कार्यात्मक परिस्थितियों में अपनाई जाने वाली वेतन निर्धारिण की कार्यविधि के संबंध में विभिन्न रेलों से स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं। यह मामला वित्त मंत्रालय/डी.ओ.पी.टी. के साथ विमर्श करते हुए निरीक्षणाधीन रहा है और यह स्पष्ट किया जाता है कि संशोधित वेतन संरचना में रिनंग कर्मचारियों के संचलन (फिटमेंट)/पदौन्नित की विभिन्न परिस्थितियों में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा:

क्र.	छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना में स्थिति		
सं.	फीडर कोटि •	संभरण(fed)/पदोन्नति कोटि *	टिप्पणी
लोको	पायलट		
1.	पायलट पीबी1, ग्रेड पे ₹ 1900/-	वरिष्ठ सहायक लोको पायलट (गैर-कार्यात्मक) पीबी1, ग्रेड पे ₹ 2400	रेल सेवा (संशोधित वेतन नियम, 2008 के नियम 13 वे अंतर्गत पदोन्नति से संबंधित वेतनवृद्धि स्वीकार्य होगी।
2.	पायलट (गैर- कार्यात्मक) पीबी1, ग्रेड पे ₹ 2400	लोको पायलट (शंटिंग) ग्रेड ॥ पीबी1, ग्रेड पे ₹ 2400	गैर-कार्यात्मक तैनाती के बाट समान वेतन बैंड/ग्रेड पे में कार्यात्मक पदोन्नति। रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 13 के अंतर्गत पदोन्नति से संबंधित वेतनवृद्धि स्वीकार्य <u>नहीं</u> होगी।
3.	लोको पायलट (शंटिंग) ग्रेड ॥ पीबी1 ग्रेड पे ₹ 2400/-	लोको पायलट (शंटिंग) ग्रेड । (गैर कार्यात्मक) पीबी2, ग्रेड पे ₹ 4200/-	रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 13 के अंतर्गत पदोन्नति से संबंधित वेतनवृद्धि स्वीकार्य होगी।
4.	लोको पायलट शंटिंग) ग्रेड ।	लोको पायलट (गुड्स) पीबी2, ग्रेड पे ₹ 4200/-	गैर-कार्यात्मक तैनाती के बाद समान वेतन बैंड/ग्रेड पे में

	(गैर-कार्यात्मक)		
	पीबी2, ग्रेड पे ₹ 4200/-		कार्यात्मक पदोन्नति। रेल सेव (संशोधित वेतन) नियम, 200 के नियम 13 के अंतर्ग पदोन्नति से संबंधित वेतनवृद्धि स्वीकार्य <b>नहीं</b> होगी।
	<ol> <li>लोको पायलट (गुः पीबी2, ग्रेड पे ₹ 4200/-</li> </ol>	इस) लोको पालयट (पैसेंजर) पीबी2, ग्रेड पे ₹ 4200/ + ₹ 500 (अतिरिक्त भत्ता)	बोर्ड के दिलांक 12.00 2012 2
	6. लोको पायलट (पैसेंजर) पीबी2, ग्रेड पे ₹ 4200/- +₹ 500/- (अतिरिक्त भत्ता)	लोको पायलट (मेल) पीबी2, ग्रेड पे ₹ 4200/- + ₹ 1000/- (अतिरिक्त भत्ता)	बोर्ड के दिनांक 12.09.2013 के
गार्ड			13.22
7	सहायक गार्ड/ब्रेक्समैन पीबी1, ग्रेड पे 1900/-	वरिष्ठ सहायक गार्ड/वरिष्ठ ब्रेकमैन (गैर- कार्यात्मक) पीबी1, ग्रेड पे ₹ 2400/-	नियम, 2008 के नियम 13 के अंतर्गत पदोन्नति से संबंधित
8.	वरिष्ठ सहायक गार्ड/वरिष्ठ ब्रेकमैन (गैर-कार्यात्मक) पीबी1, ग्रेड पे ₹ 2400/-	गुड्स गार्ड पीबी1, ग्रेड पे ₹ 2800/-	वेतनवृद्धि स्वीकार्य होगी। रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 13 के अंतर्गत पदोन्नित से संबंधित वेतनवृद्धि स्वीकार्य होगी।
9.	गुड्स गार्ड पीबी1, ग्रेड पे ₹ 2800/-	वरिष्ठ गुड्स गार्ड (गैर- कार्यात्मक) पीबी2, ग्रेड पे ₹ 4200/-	रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 13 के अंतर्गत पदोन्नति से संबंधित वेतनवृद्धि स्वीकार्य होगी।
	वरिष्ठ गुड्स गार्ड	1	OHERIZ TATAN

11. वरिष्ठ पैसेंजर गार्ड पीबी2, ग्रेड पे रू 4200/-	मेल्र ८एक्सप्रेस गार्ड पीबी२, ग्रेड पे ₹ 4200/- + ₹ 500/- (अतिरिक्त भत्ता)	2008 के नियम 13 के अंतर्गत पदोन्नित से संबंधित वेतनवृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी बोर्ड के दिनांक 12.09.2013 के पत्र सं. पीसी VI/2011/आईसी/1 के तहत रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम,2008 के नियम 13 के अंतर्गत पदोन्नित से संबंधित वेतनवृद्धि का लाभ स्वीकार्य होगा।
--	--	---

(\* बोर्ड के दिनांक 14.09.2010 के पत्र सं. पीसी-VI/2008/आई/1/1 (पीसी सं. 226, आरबीई 134/2010) के अनुसार, प्रोविजनल संशोधित पदनाम)

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(विक्रम गुलाटी) निदेशक, वेतन आयोग-॥

रेलवे बोर्ड

सं. पीसी VI/2011/आईसी/1

नई दिल्ली, दिनांक <u>22</u>.03.2014

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलवे), कमरा सं. 224, रेल भवन, वर्ड दिल्ली को प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) प्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त, रेलवे